

9

पृ.क्रं.-	
पिछला	अगला

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-संरक्षण)

सतपुड़ा भवन, म0प्र0 भोपाल

Tel. (Office)2674212,2551450(Fax) 2551450,Email:Apcfprot@mpforest.org

कमॉक/एफ-भंडार/1399-दिनांक-03-05-2014/भोपाल:दिनांक.3.05.2014

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक(क्षेत्रीय)
समस्त क्षेत्र संचालक, राष्ट्रीय उद्यान/टाईगर रिजर्व,
समस्त वन मंडलाधिकारी(क्षेत्रीय)
समस्त संचालक/अनुदेशक वनविद्यालय,
मध्यप्रदेश.

विषय:- वन सुरक्षा हेतु प्रदाय की गई शासकीय बन्दूक एवं रिवाल्वर के चालन, रख-रखाव एवं उपयोग के संबंध में दिशा निर्देश ।

संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 1854 दिनांक 27.4.13, क्रमांक 2337 दिनांक 11.6.13, क्रमांक 3037 दिनांक 31.7.2013, एवं क्रमांक 4571 दिनांक 16.6.13.

-----:-----

विषयांतर्गत कृपया संदर्भित ज्ञापन का अवलोकन करें । जिससे आपके अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को आग्नेय शस्त्रों की सुरक्षा एवं समुचित उपयोग हेतु वन मुख्यालय से समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त दिशा निर्देशों में बार-बार लेखा किया जा रहा है कि बन्दूक को घर में नहीं स्ट्रांग रूम में रखा जावे एवं इनका उपयोग केवल आत्म रक्षार्थ ही किया जावे । किन्तु उक्त निर्देशों के बावजूद बन्दूकें घर में रखी जा रही हैं, जिससे उनकी चोरी होने एवं अकस्मात चलने की घटनाएं प्रकाश में आ रही हैं। इस प्रकार की घटनाएं प्रकाश में आना वन मंडलाधिकारी का शस्त्रों के प्रति कुप्रबंधन एवं लापरवाही परिलक्षित करता है। अतः निर्देशित किया जाता है कि शस्त्रों की वन मंडलाधिकारी स्वयं मानीटिरिंग करें एवं इस प्रकार की घटना होने पर शख्ती से रोक लगावें।

3.5.14
(रवि श्रीवास्तव)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)
म.प्र. भोपाल